

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(4)नविवि/3/2021


जयपुर, दिनांक 16 AUG 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार थानागाजी, जिला अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील थानागाजी के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए तैयार करने हेतु उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र अलवर को एतद द्वारा नियुक्त करती है।

क्रम सं	राजस्व ग्रामों के नाम	क्रम सं	राजस्व ग्रामों के नाम
1.	थानागाजी	7.	धैतल
2.	हरनेर	8.	रूपू का बास
3.	लाहा का बास	9.	गुवाडा भोपाला
4.	नाथूसर	10.	डिगारिया
5.	बिहारीसर	11.	दुहार चौगान
6.	अमराबास	12.	भांगडोली

राज्यपाल की आज्ञा से


13/8/2021
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), नगर नियोजक भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
5. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, थानागाजी, जिला अलवर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16/8/21 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

//
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय